उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–847 / ग्यारह–9(47) / 17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(14)–2017

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2017

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल,–

(एक) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और

(दो) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें तैनात कैरियर कौंसलीय अधिकारी को

उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करते हैं :–

(क) संयुक्त राष्ट्र या कोई विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रमाण पत्र के अध्यधीन उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त राज्य कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे कि माल और सेवाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासकीय उपयोग के लिए किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है ।

(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें तैनात कैरियर कौंसलीय अधिकारी, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त राज्य कर के प्रतिदाय का निम्नलिखित के अध्यधीन दावा करने के हकदार होंगे,–

(एक) यहकि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें तैनात कैरियर कौंसलीय अधिकारी, पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा निर्धारित राज्य कर का प्रतिदाय करने के लिए हकदार होंगे;

(दो) यहकि सेवा पूर्ति के मामलें में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसी मिशन या पद के किसी व्यक्ति को अपने द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल वचनबंध यह उल्लिखित करते हुए देना होगा कि प्राप्त सेवा की पूर्ति उक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के शासकीय प्रयोजन के लिए या उक्त

राजनयिक अभिकर्ता या कैरियर कौंसलीय अधिकारी या उसके कुटुंब के सदस्यों के व्यक्तगत उपयोग के लिए है।

(तीन) यहकि माल की पूर्ति के मामलें में संबंधित राजनयिक मिशन या कौंसल या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि,–

(I) माल का उपयोग, मिशन या कौंसल के लिए, यथास्थिति, रखा गया है या किया जा रहा है;

(II) माल की पूर्ति आगे नहीं की जाएगी या माल की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व माल का अन्यथा निस्तारण कर दिया जाएगा; और

(III) खंड (एक) का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में राजनयिक या कौंसलीय मिशन, संदत्त रकम के प्रतिदाय को वापस करेगा ;

(चार) यदि भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल उसे वाद में प्रत्याहृत करने का विनिश्चय करता है, तो उसे विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पदाधिकारी को ऐसे प्रमाणपत्र को प्रत्याहृत किये जाने के संबंध में संसूचित करना होगा ।

(पॉच) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को शासकीय प्रयोजन के लिए या व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रदत्त राज्य कर का संपूर्ण प्रतिदाय, ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहृत किये जाने की तारीख से उपलभ्य नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण––इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46 सन् 1947) की धारा 3 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसके लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)

विशेष सचिव